रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07052026-272292
CG-DL-E-07052026-272292

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2170]	नई दिल्ली, बुधवार, मई 6, 2026/वैशाख 16, 1948
No. 2170]	NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 6, 2026/VAISAKHA 16, 1948

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मई, 2026

का.आ. 2259(अ).— केन्द्रीय सरकार, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा भारतीय स्टाम्प (पंजाब संशोधन) अधिनियम, 2001 (पंजाब अधिनियम सं. 14 सन् 2001) (जिसे इसमें इसके पश्चात "मूल अधिनियम" कहा गया है), जो पंजाब राज्य में प्रवर्तित है, को इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से संघ राज्यक्षेत्र चण्डीगढ़ में निम्नलिखित उपांतरणों के अधीन विस्तारित करती है, अर्थात्:—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम, भारतीय स्टाम्प (पंजाब संशोधन) अधिनियम, 2001, जैसा कि यह संघ राज्यक्षेत्र चण्डीगढ़ में विस्तारित किया गया है, है।
2. मूल अधिनियम में,—

   (क) जहाँ कहीं "पंजाब राज्य" शब्द आते हैं, वहाँ "संघ राज्यक्षेत्र चण्डीगढ़" शब्द रखे जाएँगे;

   (ख) जहाँ कहीं "राज्य सरकार" शब्द आते हैं, वहाँ "संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़ का प्रशासक" शब्द रखे जाएँगे।

[फा. सं. U-11020/2/2026-यूटीएल]

प्रवीण कुमार राय, संयुक्त सचिव

पंजाब सरकार का राजपत्र (असाधारण) 21 दिसंबर, 2001

(अगहन 30. 1923 शक)

भाग 1

विधि और विधायी कार्य विभाग, पंजाब

अधिसूचना

21 दिसंबर, 2001

संख्या 24, विधायी/2001. पंजाब राज्य विधानमंडल के निम्नलिखित अधिनियम को 11 दिसंबर, 2001 को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई और इसे एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

भारतीय स्टाम्प (पंजाब संशोधन) अधिनियम, 2001

(पंजाब अधिनियम संख्या 14, 2001)

अधिनियम

पंजाब राज्य पर इसके लागू होने के विषय में, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 में और संशोधन करने हेतु भारतीय गणराज्य के बावनवें वर्ष में पंजाब राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :-

1 (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय स्टाम्प (पंजाब संशोधन अधिनियम, 2001) हैl संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(2) यह तुरंत प्रभाव से लागू होगा

2 भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (जिसे इसमें इसके पश्चात मूल अधिनियम कहा गया है), पंजाब राज्य पर लागू होने के संबंध में, धारा 2 में. खंड (9) के पश्चात, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्ः केंद्रीय अधिनियम 1899 का 2, की धारा 2 का संशोधन

(9-अ) "आयुक्त" से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किसी मंडल का आयुक्त अभिप्रेत है।"।

3 मूल अधिनियम की, धारा 47-अ में,- 1899 के केंद्रीय अधिनियम 2 की धारा 48-A का संशोधन।

(1) उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी की जाएगी, अर्थात्:-

"(i) यदि किसी संपत्ति का बाजार मूल्य, जो किसी ऐसे लिखत का विषय है जिस पर ऐसे लिखत में निर्धारित बाजार मूल्य के अनुसार शुल्क देय है, ऐसे विलेख में निर्धारित न्यूनतम मूल्यों से भी कम है, तो पंजीकरण अधिनियम, 1908 के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित न्यूनतम मूल्य से भी कम है, तो विलेख को पंजीकृत

करने के बाद, उसे कलेक्टर को ऐसी संपत्ति के बाजार मूल्य और उस पर देय उचित शुल्क के निर्धारण के लिए भेजेगा:

(ii) उपधारा (4) में, "जिला न्यायाधीश" शब्दों के स्थान पर, "आयुक्त" शब्द रखा जाएगा।

4 मूल अधिनियम में, अनुसूची I-क में — केंद्रीय अधिनियम 1899 का 2 की अनुसूची I-क में संशोधन

(1) प्रविष्टि 5 में, मद (ग) के पश्चात, निम्नलिखित मद को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(गग) विक्रय के करार के मामले में, जिसके बाद या जिसके द्वारा विक्रय की जाने वाली अचल संपत्ति का कब्जा प्रदान किया जाता है;	इस अनुसूची की प्रविष्टि संख्या 23 के स्तंभ 2 के अधीन देय शुल्क के समान शुल्क, ऐसे समझौते के अनुसरण में किए गए हस्तांतरण के निष्पादन के समय प्रभार्य शुल्क के समायोजन के अधीन होगा।":

(2) प्रविष्टि 48 में, मद (च) के पश्चात, निम्नलिखित मदों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"(चच) जब प्रतिफल के बदले और/या अचल संपत्ति पर कब्जा करने के लिए अधिकृत करने हेतु दिया गया हो:	इस अनुसूची की प्रविष्टि संख्या 23 के स्तंभ 2 के अधीन देय शुल्क के समान शुल्क, ऐसे समझौते के अनुसरण में किए गए हस्तांतरण के निष्पादन के समय प्रभार्य शुल्क के समायोजन के अधीन, लागू होगा।"

एस.एस. ग्रेवाल,
सचिव, पंजाब सरकार,

विधि और विधायी मामलों का विभाग।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th May, 2026

S.O. 2259(E).— In exercise of the powers conferred by section 87 of the Punjab Reorganisation Act, 1966 (31 of 1966), the Central Government hereby extends the Indian Stamp (Punjab Amendment) Act, 2001 (Punjab Act No. 14 of 2001) (hereinafter referred to as the principal Act) as in force in the State of Punjab, to the Union territory of Chandigarh, from the date of publication of this notification in the Official Gazette, subject to the following modifications, namely:—

1. This Act shall be called the Indian Stamp (Punjab Amendment) Act, 2001 as extended to the Union Territory of Chandigarh.

2. In the principal Act,—

a) for the words "State of Punjab" wherever they occur, the words "Union Territory of Chandigarh" shall be substituted;

b) for the words "State Government" wherever they occur, the words "Administrator of the Union Territory of Chandigarh" shall be substituted.

[F. No. U-11020/2/2026-UTL]

PRAVEEN KUMAR RAI, Jt. Secy.

PUNJAB GOVT. GAZ (Extra) DEC. 21, 2001

(AGHN 30, 1923 SAKA)

PART I

DEPARTMENT OF LEGAL AND LEGISLATIVE AFFAIRS PUNJAB

NOTIFICATION

The 21st December, 2001

No. 24. Leg./2001.—The following Act of the Legislature of the State of Punjab received the assent of the President of India on the 11th December, 2001 and is hereby published for general information: -

THE INDIAN STAMP (PUNJAB AMENDMENT) ACT, 2001

(Punjab Act No. 14 of 2001)

AN

ACT

Further to amend the India Stamp Act, 1899, in its application to the State of Punjab.

Be it enacted by the Legislature of the State of Punjab in the Fifty-second Year of the Republic of India as follows:-

1	(1) This Act may be called the Indian Stamp (Punjab Amendment Act, 2001 (2) It shall come into force at once	Short title and Commencement
2.	In the Indian Stamp Act, 1899 (hereinafter referred to as the Principal Act), in its application to the State of Punjab in section 2, after clause (9), the following clause shall be inserted, namely:- "(9-A) "Commissioner" means the commissioner of a Division appointed as such by the State Government.".	Amendment of Section 2 of Central Act 2 of 1899
3.	In the Principal Act, in section 47-A,- (I) For sub-section (i) the following sub-section shall be substituted namely:- "(i) If the market value of any property, which is the subject of any instrument on which duty is chargeable on market value as set	Amendment of Section 48-A of Central Act 2 of 1899

forth in such instrument, is less than even the minimum value as set forth in such instrument, is less than even the minimum value as determined in accordance with the rules made under this Act, the Registering Officer appointed under the Registration Act, 1908, shall after registering the instrument, refer the same to the Collector for determination of the market value of such property and the proper duty payable thereon"; and

(ii) In sub-section (4), for the words "District Judge", the word "Commissioner" shall be substituted.

4. In the Principal Act, in Schedule I-A — *Amendment of Schedule I-A of Central Act 2 of 1899*

(i) In entry 5, after item © the following item shall be inserted namely:-

"(CC) in the case of agreement to sell followed by or evidencing delivery of possession of the immoveable property agreed to be sold;	The same duty as is leviable under column 2 of entry No. 23 of this Schedule, subject to the adjustment of duty chargeable at the time of execution of conveyance made in pursuance of such agreement", and
(ii) in entry 48, after item (f), the following items shall be inserted namely:- " (ff) when given for consideration and/or for authorizing possession of the immovable property:	The same duty as is leviable under column 2 of entry No. 23 of this Schedule, subject to the adjustment of duty chargeable at the time of execution of conveyance made in pursuance of such agreement.

S. S. GREWAL,
Secretary to Government of Punjab
Department of Legal and Legislative Affairs.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मई, 2026

का.आ. 2260(अ).— केन्द्रीय सरकार, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा भारतीय स्टाम्प (पंजाब संशोधन) अधिनियम, 2003 (पंजाब अधिनियम सं. 2004 का 15) (जिसे इसमें इसके पश्चात "प्रधान अधिनियम" कहा गया है), जो पंजाब राज्य में प्रवर्तित है, को इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से संघ राज्यक्षेत्र चंडीगढ़ में निम्नलिखित उपांतरणों के अधीन विस्तारित करती है, अर्थात्:—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम, भारतीय स्टाम्प (पंजाब संशोधन) अधिनियम, 2003, जैसा कि यह संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में विस्तारित किया गया है, है।

प्रधान अधिनियम में,—

(क) जहाँ कहीं "पंजाब राज्य" शब्द आते हैं, वहाँ "संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़" शब्द रखे जाएँगे;

(ख) जहाँ कहीं "राज्य सरकार" शब्द आते हैं, वहाँ "संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ का प्रशासक" शब्द रखे जाएँगे।

[फा. सं. U-11020/2/2026-यूटीएल]

प्रवीण कुमार राय, संयुक्त सचिव

पंजाब सरकार का राजपत्र (असाधारण) 1 जुलाई, 2004

(असाढ़, 10. 1926 शक)

विधि और विधायी कार्य विभाग पंजाब

अधिसूचना

1 जुलाई, 2004

सं. 24 – विधायी/95.- पंजाब राज्य विधानमंडल के निम्नलिखित अधिनियम को 23 जून, 2004 को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई और इसे अतदद्वारा सर्व साधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

भारतीय स्टाम्प (पंजाब संशोधन) अधिनियम, 2003

(पंजाब अधिनियम संख्या 2004 का 15)

अधिनियम

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 को पंजाब राज्य में उसके उपयोग के संबंध में और संशोधित करने के लिए।

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में पंजाब राज्य की विधान सभा द्वारा निम्नलिखित अधिनियमित हो :

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम *भारतीय स्टाम्प (पंजाब संशोधन) अधिनियम, 2003* है।

(2) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

2. भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (जिसे इसमें इसके पश्चात कूल अधिनियम कहा गया है) के पंजाब राज्य में अनुप्रयोग में, धारा 47-क में—

(i) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी की जाएगी, अर्थात्—

"(2) उपधारा (1) के अधीन संदर्भ प्राप्त होने पर, कलेक्टर पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्तक अवसर देने के पश्चात और इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार जांच करने के उपरांत, मूल्य या प्रतिफल तथा उक्त अनुसार देय शुल्क का निर्धारण करेगा, तथा यदि कोई शुल्क की कमी हो, तो उस कमी की राशि पर बारह प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित, संबंधित संपत्ति के दस्तावेज के पंजीकरण की तारीख से लेकर उस कमी की राशि के भुगतान की तारीख तक, शुल्क देने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा देय होगा;

परंतु यदि संपत्ति के वास्तविक बाजार मूल्य को दर्शाने में किसी व्यक्ति द्वारा जानबूझकर चूक या त्रुटि की गई हो, तो वह तीन प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से दंडात्मक ब्याज देने के लिए भी उत्तरदायी होगा।"

(ii) उपधारा (3) में, "यदि कोई हो, तो शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा देय होगा," शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्—

"यदि कोई हो, तो उस कमी की राशि पर बारह प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित, संबंधित संपत्ति के दस्तावेज के पंजीकरण की तारीख से लेकर उस कमी की राशि के भुगतान की तिथि तक, शुल्क देने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा देय होगा;

परंतु यदि संपत्ति के वास्तविक बाजार मूल्य को दर्शाने में किसी व्यक्ति द्वारा जानबूझकर चूक या त्रुटि की गई हो, तो वह तीन प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से दंडात्मक ब्याज देने के लिए भी उत्तरदायी होगा।"

3. मूल अधिनियम की धारा 48 में, "सभी शुल्क, शास्तियों और अन्य राशियों" शब्दों के स्थान पर "सभी शुल्क, शास्तियां, ब्याज, दंडात्मक ब्याज और अन्य राशियाँ" शब्द रखे जाएंगे। केंद्रीय अधिनियम 1899 का 2 की धारा 48 का संशोधन

पंजाब सरकार के सचिव
विधि और विधायी कार्य विभाग।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th May, 2026

S.O. 2260(E).— In exercise of the powers conferred by section 87 of the Punjab Reorganisation Act, 1966 (31 of 1966), the Central Government hereby extends the Indian Stamp (Punjab Amendment) Act, 2003 (Punjab Act No. 15 of 2004) (hereinafter referred to as the principal Act) as in force in the State of Punjab, to the Union territory of Chandigarh, from the date of publication of this notification in the Official Gazette, subject to the following modifications, namely:—

1. This Act shall be called the Indian Stamp (Punjab Amendment) Act, 2003 as extended to the Union Territory of Chandigarh.

2. In the principal Act,—

a) for the words "State of Punjab" wherever they occur, the words "Union Territory of Chandigarh" shall be substituted;

b) for the words "State Government" wherever they occur, the words "Administrator of the Union Territory of Chandigarh" shall be substituted.

[F. No. U-11020/2/2026-UTL]

PRAVEEN KUMAR RAI, Jt. Secy.

PUNJAB GOVT. GAZ. (EXTRA.) JULY 1, 2004

(ASAR, 10, 1926 SAKA)

Part I

DEPARTMENT OF LEGAL AND LEGISLATIVE AFFAIRS, PUNJAB

NOTIFICATION

The 1st Jul, 2004

No. 24-Leg./95.- The following Act of the Legislature of the State of Punjab received the assent of the President of India on the 23rd June, 2004, and is hereby published for general information:-

THE INDIAN STAMP (PUNJAB AMENDMENT) ACT, 2003

(Punjab Act No. 15 of 2004)

AN

ACT

Further to amend the Indian Stamp Act, 1899, in its application to the State of Punjab.

Be it enacted by the Legislature of the State of Punjab in the Fifti-fourth year of the Republic of India as follows:

1. (1) This Act may be called the Indian Stamp (Punjab Amendment) Act, 2003. Short title and commencement

(2) It shall come into force at once.

2. In the Indian Stamp Act, 1899 (hereinafter referred to as the principal Act), in its application to the State of Punjab, in section 47-A,- Amendment of section 47-A of Central Act of 1899.

(i) for sub-section (2), the following sub-section shall be substituted, namely:-

"(2) On receipt of reference under sub-section (1), the Collector shall, after giving the parties reasonable opportunity of being heard and after holding an enquiry in such manner as may be prescribed by rules under this Act, determine the value or consideration and the duty as aforesaid, and the deficient amount of duty, if any, alongwith interest at the rate of twelve per cent per annum on such deficient amount, shall be payable by the person liable to pay the duty from the date of registration of the

instrument relating to such property to the date of payment of deficient amount of the duty:

Provided that a person shall also be liable to pay penal interest at the rate of three per cent per annum, if there was an intentional omission or lapse on his part in not setting forth the correct market value of such property."; and

(ii) In sub-section (3), for the words "if any, would be payable by the person liable to pay the duty.", the following shall be substituted, namely:-

"if any, alongwith interest at the rate of twelve per cent per annum on such deficient amount, would be payable by the person liable to the pay of duty from the date of registration of the instrument relating to such property to the date of payment of deficient amount of the duty;

Provided that a person shall also be liable to pay penal interest at the rate of three per cent per annum, if there was an intentional omission or lapse on his part in not setting forth the correct market value of such property.".

3. In the principal Act, in section 48, for the words "All durites, penalties and other sums", the words "All duties, penalties, interest, penal interest and other sums" shall be substituted. Amendment of section 48 of Central Act of 1899

Secretary to Govt. of Punjab,
Department of Legal and Legislative Affairs.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA